

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2016/203

दिनांक:- 6-5-16

आदेश


मण्डल की 229वीं बैठक दिनांक 27.01.16 के बिन्दु संख्या 229.18 में आवासीय अभियन्ता खण्ड-भिवाड़ी वृत्त अलवर के अधीन मध्यम आय वर्ग-ब (एस+3) के 24 फ्लेट की लागत दिनांक 30.01.14 की निर्धारित लागत दिनांक 30.06.16 तक फ्रीज कर 10 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए ही खुली ब्रिकी योजना (नगद भुगतान पद्धति) से निस्तारित किये जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है। निस्तारित किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1	MIG-B (S+3)	4JF6, 4JF19, 4JF29, 4JF33, 4NF3, 4NF4, 4NF5, 4NF11, 4NF12, 4NF15, 4NF16, 4NF17, 4NF18, 4NF21, 4NF22, 4NF26, 4NF28, 4NF30, 4NF31, 4NF33, 4NF34, 4NF36, 4NF39, 4NF40	24

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर निम्न शर्तों के आधार पर खुली ब्रिकी योजना से फ्लेट्स का निस्तारण करना सुनिश्चित करें :-

1. फ्लेट्स आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट्स खुली ब्रिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. फ्लेटों का निस्तारण खुली ब्रिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं उन्हे विधिवत निरस्त किया जा चुका है।
6. खुली ब्रिकी योजना से संबंधित सभी आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों को नोट शीट पैरा संख्या 76/एन पर माननीय आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त -अलवर, रा0आ0म0 अलवर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड भिवाड़ी, रा0आ0म0 भिवाड़ी।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।



सम्पदा प्रबंधक